

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 09-06-17

संशोधित बैठक सूचना

विभागीय समसंख्यक बैठक सूचना दिनांक 08.06.2017 के क्रम में लेख है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की गत वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह मई 2017 की प्रगति की समीक्षा हेतु माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21 जून, 2017 को आयोजित होने वाली बैठक अब दिनांक 22 जून, 2017 को प्रातः 10.000 बजे से सांय 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में रखी गई है। बैठक में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्राविप्र) भाग लेंगे। बैठक के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

परि. निदेश एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महानरेगा।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
3. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
5. अति. आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महानरेगा।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी-I एवं II/मो. एवं मू./महानरेगा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त बैठक में सूसंगत सूचनाओं के साथ भाग ले एवं जिले से किसी भी योजना प्रभारी/कार्मिक को साथ नहीं लेकर आवें।
10. अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
11. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), पंचायतीराज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अपने साथ-साथ पंचायतीराज विभाग के समस्त योजना प्रभारी को तदनुसार सूचित करावें।
12. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
13. एसपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदेश एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)